।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_ula@yahoo.co.in Phone No.:- 01372-252175

पत्रांकः 6278 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जून 27 /2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थराली।

विषयः— जनपद चमोली में नारायणबगड़—चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
प्रस्ताव सं0 FK/UK/Road/36547/2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण जनपद चमोली में नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुए पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, फलस्वरूप उक्त प्रकरण हेतु एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दरों के अनुसार अवशेष धनराशि जमा की जानी है, जिसके क्रम में अवगत करना है कि विषयांकित प्रकरण हेतु वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि पूर्व में ही जमा की जा चुकी है किन्तु वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अवशेष धनराशि निम्नानुसार जमा करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें

परियोजना का नाम	परियोजना का क्षेत्रफल (है0 में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल (है0 में)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (रू0 में)		वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का आकलन		जमा किये जाने वाली अवशेष धनराशि (रू0में)
			दर प्रति है0	धनराशि (रू0 में)	दर प्रति है0	धनराशि (रू0 में)	
	1	2	3	4	5	6	7
नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग।	1.583	3.166	107992.00	1291703.00	597341.00	1891182.00	599479.00

अतः विषयांकित प्रकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अवशेष धनराशि उपरोक्त तालिका के कॉलम सं0 7 में अंकित रू0 599479.00 (पांच लाख निन्यानवे हजार चार सौ उन्यासी रूपये मात्र) की धनराशि को ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner